भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है।

संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है। डा. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है।

संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। संघ, नेशनल इन्फार्मेटिक सेण्टर इंडिया इण्टरनेशनल सेंटर द्वारा प्रायोजित डेलनेट से भी सम्बद्ध है। संघ द्वारा अभी हाल में प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलॉंग एजूकेशन) की स्थापना भी कर दी गई है।

संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता हैं, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशनल एसोसिएशन्स' एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक ब्यूरो आफ एडल्ट एजूकेशन' एवं 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002
दूरभाषः 011–23379282, 23378436, 23379306
फैक्सः 011–23378206, ई–मेलः proudhshiksha@gmail.com
directoriaea@gmail.com
website: www.iaea-india.org; www.iiale.org

प्रौढ़ शिक्षा

जनवरी 2010
वर्ष 53 अंक–6

सम्पादक मण्डल

संरक्षक
प्रो. भवानी शंकर गर्ग

अध्यक्ष
कैलाश चौधरी

इन्दिरा पुरोहित
ए.एच.खान
प्रफुल्ल नागर
के.आर. सुशीले गौडा
डा. विद्याविन्दु सिंह
डा. मदन सिंह

सहायक सम्पादक
बी. संजय

टंकण एवं रूपसज्जा
कृष्ण सिंह

इस अंक में

सम्पादकीय 2

पारिवारिक जीवन की शिक्षा : एक अध्ययन 4
– अनूपी समैया

अपनी कहानी सुनायेंगे हम... 9
– मृदुला सेठ

ग्रामीण प्रौढ़ों में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागरूकता की स्थिति–समस्याएं एवं उपाय 13
– महेन्द्र कुमार वर्मा

गीता–दर्शन में शिक्षक संकल्पना 18
– विकास मोदी

ग्रामीण महिला सशक्तीकरण में स्व–सहायता समूहों की भूमिका 21
– जितेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं प्रतिभा पाण्डेय

युवा उद्यमी और विकसित भारत 30
– भारती जोशी

Hindrances in Implementing CE Programme - A Study 33
– Nivedita Kundu

मूल्यः 100 रूपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

कान्फिंटिया 6 के आग्रह और भारत

जर्मनी के बोन शहर में गत 23–24 जून, 2009 को प्रौढ़ शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। विषय था 'विकास हेतु प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय'। वैसे तो इस आयोजन के पीछे कल्पना यह थी कि तब तक प्रौढ़ शिक्षा पर यूनेस्को का छठवां विश्व सम्मेलन जिसे मई, 2009 में ब्राजील के बेलम में होना था, संपन्न हो चुका होगा और बोन का यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बेलम में हुए छठवें कान्फिंटिया के निष्कर्ष के रूप में घोषित कार्ययोजनाओं पर विश्वभर में हुई ताजा प्रगति का आंकलन करेगा। लेकिन परिस्थितिवश घटनाक्रम में परिवर्तन हो गया और कान्फिंटिया 6 मई के बजाय दिसम्बर, 2009 में आयोजित हुआ। परिणामस्वरूप बोन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का लक्ष्य वस्तुतः कान्फिंटिया 6 के सफल आयोजन में बदल गया।

चूंकि बोन में हुए सम्मेलन का स्पष्ट लक्ष्य विकास प्रक्रियाओं के एक आधारभूत स्तम्भ के रूप में प्रौढ़ शिक्षा पर विश्वभर में हो रहे वित्तीय अनुदानों की बढ़ोत्तरी पर केन्द्रित था। इसलिए सम्मेलन के सहभागियों ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि विश्वभर के सभी देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6 प्रतिशत अनिवार्य रूप से शिक्षा पर व्यय करें। स्वाभाविक ही प्रौढ़ शिक्षा पर हो रहा व्यय अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। इससे 'मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स' सहित 'सभी के लिए शिक्षा (ई.एफ.ए)' के लक्ष्यों को निश्चित समय में प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

दिसम्बर 1–4, 2009 ब्राजील के बेलम में आयोजित कान्फिंटिया 6 में यूनेस्को के 156 सदस्य राष्ट्रों सहित तमाम सिविल सोसाटिज एवं यूनाइटेड नेशन की सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से बोन में घोषित आग्रह सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत शिक्षा व्यय का अनुमोदन किया। यह आग्रह भी रखा गया कि विश्व की सभी सरकारों के सभी विभागों द्वारा प्रौढ़ शिक्षा एवं शैक्षणिक

रणनीति के बेहतर क्रियान्वयन हेतु शिक्षा के लिए समर्पित संसाधनों को बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाए। साथ ही यूरोपियन यूनियन के आजीवन शिक्षा कार्यक्रमों की सफलता को देखते हुए यह आग्रह भी किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक अनुदान पर संचालित विश्व भर के कार्यक्रमों को यूरोपियन यूनियन आजीवन शिक्षा कार्यक्रमों के नक्शे कदम पर ही संचालित किया जाए। विश्व भर में ज्ञानवान समाज की स्थापना के लिए बेलम कार्ययोजना ने सभी सरकारों तथा गैर–सरकारी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे आजीवन शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु नीति निर्माण करें, आर्थिक अनुदान दें, उसकी गुणवत्ता बढ़ाएं एवं समग्र प्रक्रिया में जनसहभाग सुनिश्चित करें।

कान्फिंटिया 6 में अन्य देशों के साथ भारत सरकार ने भी अपना राष्ट्रीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन के अनुसार प्रौढ़ और आजीवन शिक्षा पर देश में नौवीं पंचवर्षीय योजना काल (1997–2002) के तहत कुल 1241.50 करोड़ रूपए मुहैया कराए गए जबकि व्यय 1148.04 करोड़ रूपयों का हुआ। दसवीं पंचवर्षीय योजना काल (2002–2007) में इसके लिए 1250 करोड़ रूपयों का प्रावधान था। यद्यपि इस राष्ट्रीय प्रतिवेदन में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना काल (2007–2012) के दौरान प्रौढ़ शिक्षा पर सरकारी व्यय के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है लेकिन योजना दस्तावेजों के अनुसार यह राशि ताजा मूल्य पर 1800 करोड़ रूपयों की है। यह तो निश्चित है कि भारत में साक्षरता, प्रौढ़ और आजीवन शिक्षा पर हो रहे सरकारी व्यय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है पर इसे यदि कान्फिंटिया 6 के आग्रहों के आलोक में देखा जाए तो यह अपेक्षित लक्ष्य से पर्याप्त पीछे है। ऐसे में भारत सरकार सहित अन्य सभी घटकों पर यह स्वाभाविक जिम्मेवारी होगी कि वे कान्फिंटिया 6 में किए गए वायदों को यथा संभव निभाने के लिए बेहतर रणनीति तैयार करें।

– बी संजय

पारिवारिक जीवन की शिक्षा : एक अध्ययन

– अनूपी समैया

द्रुतगति से होने वाले आधुनिकीकरण, औद्योगिक विस्फोट व नगरीकरण के कारण, आज का मानव निरंतर विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। सामाजिक जीवन अव्यवस्थित हो गया है। व्यक्ति पहले से कहीं ज्यादा स्वार्थी, अवसरवादी, चाटुकार व कर्त्तव्य विमुख हो गया है। पारिवारिक विघटन ने माता–पिता के जीवन को पूर्णतः उलझा दिया है। महानगरीय जीवन में कामकाजी माता–पिता भौतिकता की अंधी दौड़ में बच्चों को अधिक से अधिक सुख देने की कोशिश में अपने–अपने व्यवसाय या नौकरी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने बच्चे को समय नहीं दे पाते। इसके परिणामस्वरूप बच्चों को सुविधाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन उन्हें माता–पिता का पूर्ण प्यार, मार्गदर्शन व समय नहीं मिलता। इसके अलावा कुछ माता–पिता अज्ञानतावश व आलस्यवश बच्चों की आवश्यकताओं व समस्याओं को नहीं समझते।

इसी कारण बच्चे जो देखते–सुनते हैं उसी के अनुसार किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अपने विचार, विश्वास एवं दृष्टिकोण को विकसित कर लेते हैं। अशिक्षा के कारण बच्चे कुसंगति व बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं अन्य लोगों के भांति सुविधायें प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्ति का जोखिम भरा, परंतु सबसे छोटा रास्ता अपनाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। परिवारों में आर्थिक अभावों, अस्वस्थ सांस्कृतिक परम्पराओं, आवास स्थान की कमी, अभिभावकों द्वारा गलत प्रकार के नियंत्रण, अस्वस्थ प्रकार के यौन संबंध, सामाजिकरण तथा गलत प्रकार के मनोरंजन एवं शौक के फलस्वरूप बालकों में अपराध करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है।

आज का युवा वर्ग फैशन, आधुनिकता एवं पश्चिम के अंधानुकरण के चलते नशे व यौन रोगों के गर्त में गिरता जा रहा है। एड्स महामारी का रूप लेकर सब देशों के प्रवेश द्वारा पर खड़ा है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक जीवन की शिक्षा

सफलतापूर्वक जीवन जीने के लिए युवाओं में ज्ञान, कौशल और अभिवृत्ति को विकसित कर सकती है। इस संकट की घड़ी में मूल्यहीनता से ग्रस्त एवं संस्कारों से भटकी हुई मानवता को नई दिशा प्रदान करने के लिए आज पारिवारिक जीवन की शिक्षा की महती आवश्यकता प्रत्येक राष्ट्र को है, हमारे देश को भी है।

पारिवारिक जीवन की शिक्षा प्रदान करना वर्तमान समय की एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह काम सुनियोजित रूप से होना चाहिए ताकि बालक को जीवन जीने की कला आत्मसात करने, समझने और सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। पारिवारिक जीवन की शिक्षा की आवश्यकता जीवन को सुखमय बनाने, उत्तरदायित्व निभाने एवं नयी पीढ़ी में मूल्यों एवं संस्कारों को विकसित करने के लिए है। पारिवारिक जीवन की शिक्षा की आवश्यकता इसलिए भी है जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति समझ सके कि वह स्वयं क्या है? उसके कर्त्तव्य क्या हैं? उसे अपने जीवन में किसे प्राथमिकता देनी है?

भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्मान्धता, हिंसा, भाग्यवादिता, अंधविश्वास, प्रचलित कुप्रथाओं से निजात दिलाने के लिए, प्रचलित अवांछनीय सामाजिक–सांस्कृतिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए, राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एवं नागरिकता विकसित करने के लिए पारिवारिक जीवन की शिक्षा की आवश्यकता है। पारिवारिक जीवन की शिक्षा की आवश्यकता न केवल बालक–बालिकाओं के लिए है बल्कि इसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को है।

पारिवारिक जीवन की शिक्षा कार्यक्रम में आधुनिक विश्व में हो रही परिवर्तनों पर चिंता व्यक्त की गई है। पारिवारिक जीवन की शिक्षा, वह शिक्षा है जो मानव जीवन को सरल, सुगम और वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर आनन्दपूर्वक जीवन जीने की कला सिखाती है तथा व्यक्ति को दैनिक जीवन की कठिनाईयों एवं चुनौतियों का सामना करने हेतु आवश्यक ज्ञान व कौशल प्रदान करती है। पारिवारिक जीवन की शिक्षा को समायोजन एवं रचनात्मक व्यवहार की ऐसी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके माध्यम से व्यक्ति रोजमर्रा की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों से कारगर तरीके से निपट सके।

पारिवारिक जीवन की शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में विवेकपूर्ण एवं उत्तरदायित्वपूर्ण

दृष्टिकोण और व्यवहार का विकास करना तथा परिवार के सदस्यों में ऐसी योग्यताओं को विकसित करना है जिससे वे अधिक प्रभावशाली ढ़ंग से अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकें। परिवार के सदस्यों के बीच वार्तालाप को बढ़ाना एवं पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है।

इसके अतिरिक्त पारिवारिक परिप्रेक्ष्य के माध्यम से व्यक्तिगत एवं शैक्षिक प्रयासों को मजबूत करना, व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन की गुणवत्ता को समृद्ध बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना, स्वस्थ वयस्कों में अपनी क्षमता का अहसास कराना सहित करीबी लोगों के साथ काम करने तथा निजी जीवन में अपनी क्षमता को प्रगट करने की सुविधा प्रदान करना भी पारिवारिक शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल है।

पारिवारिक जीवन की शिक्षा में परिवार किस प्रकार से कार्य करता है? परिवार और समाज के बीच में पारिवारिक जीवन की शिक्षा एक बहुमुखी शैक्षिक योजना है जो मानव कल्याण एवं जीवन की गुणवत्ता से निर्धारित की जाती है।

पारिवारिक जीवन की शिक्षा दी नहीं जा सकती है, यह तो प्राप्त की जाती है। पारिवारिक जीवन की शिक्षा के लिए, वातावरण बनाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की शिक्षा देने के लिए भूमिका निर्वाह, कहानी तथा परस्पर विचार–विमर्श विधियों का उपयोग भी ठीक रहता है। इसके लिए चित्रों, पोस्टरों, फिल्मों, स्लाइडों, गीतों, प्रदर्शनियों आदि का भी प्रयोग किया जा सकता है। वस्तुतः पारिवारिक जीवन की शिक्षा के पूर्व शर्त के रूप में बालकों में स्वयं के चरित्र व ज्ञान के उदाहरण द्वारा खोज की भावना जगाने की आवश्यकता है। इस बात की जरूरत है कि छात्र मूल्यों को आत्मसात करके अपनायें।

पारिवारिक जीवन की शिक्षा के विकास होने से बालकों में जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण का विकास होता है, बालक को शैक्षिक संप्राप्ति होती है। पारिवारिक जीवन की शिक्षा के द्वारा बालक संस्कारपूर्ण व्यवहार सीखता है। पारिवारिक जीवन की शिक्षा एकीकृत शिक्षा है जिसमें सम्यक, सुन्दर व संतुलित जीवन जीने की सभी अवधारणाओं को समावेशित किया जाता है। यह नया शैक्षिक क्षेत्र है जिसमें जीवन की समस्याओं का समाधान कर सफल जीवन जीने की कला के पक्ष को उभारा जाता है। पारिवारिक जीवन की शिक्षा बालकों में इस प्रकार के संस्कार, आदतें व

कौशल उत्पन्न करता है जिसके व्यवहारगत होने पर जीवन में शाश्वत व नवीन मूल्यों का समावेश होता है और साथ ही गुणवत्ता उत्पन्न होती है।

किशोरावस्था में बच्चे अनेक शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं। शरीर व मस्तिष्क में हो रहे परिवर्तनों के कारण वे स्वयं को उलझा हुआ व असुरक्षित महसूस करते हैं। रोजमर्रा की छोटी–छोटी समस्याओं से वे घबरा जाते हैं। उनमें वर्तमान तथा भावी जीवन संबंधी कार्यों व योजनाओं के बारे में निर्णय लेने की क्षमता का प्रायः अभाव होता है जिससे वे दिग्भ्रमित होकर गलत निर्णय ले लेते हैं। ऐसे समय में पारिवारिक जीवन की शिक्षा, उनकी सोच को सकारात्मक व दूरगामी बनाकर, उनमें सही निर्णय लेने की क्षमता का विकास करती है।

सुखी जीवनयापन के लिए अर्थ (धन) की आवश्यकता होती है। आय का आवंटन, व्यय चातुर्य, व्यक्तिगत बचत एवं विनियोग, अर्थ साधनों की उपलब्धि व प्रयोग जैसे घटक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। पारिवारिक जीवन की शिक्षा बालक को आर्थिक समस्याओं से मुक्त रखकर उन्हें, राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहभागी बनाते हैं।

पारिवारिक जीवन की शिक्षा के अध्ययन से युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित होने से बचाया जा सकता है। यह समाज में व्यापत बुराईयों के निराकरण में सहायक हो सकता है तथा समाज में उत्पादकता समूह (18 से 45 वर्ष) के सदस्यों में जनसंख्या शिक्षा एवं यौन शिक्षा के संबंध में जागरूकता लाने में उपयोगी है।

पारिवारिक जीवन की शिक्षा के द्वारा लोगों के व्यवहार में आवश्यक सुधार लाया जा सकता है। इसको आधार बनाकर ही माता–पिता, शिक्षक एवं विद्यार्थी अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन की शिक्षा सभी लोगों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कराने में सहायक होती है। पारिवारिक जीवन की शिक्षा, व्यक्ति को वातावरण के साथ अनुकूलता स्थापित करने, भौतिक सम्पन्नता को प्राप्त करके चरित्रवान, बुद्धिवान, साहसी तथा आत्मनिर्भर बनाने हेतु उनका सर्वांगीण विकास करती हैं। पारिवारिक जीवन की शिक्षा व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय एकता, भावानात्मक एकता, सामाजिक कुशलता तथा राष्ट्रीय भावनाओं को विकसित करके उसे इस योग्य बना देती है कि वह सामाजिक कर्त्तव्यों को पूरा करते हुए,

राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने के लिए ओत–प्रोत हो जाता है।

पारिवारिक जीवन शिक्षा का पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक उपलब्ध होनी चाहिए। विद्यालय–स्तर पर पारिवारिक जीवन की शिक्षा के प्रसार को गति प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त साहित्य की यथाशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए।

विद्यालयों में पारिवारिक जीवन शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अशिक्षित एवं अर्द्धशिक्षित अभिभावकों के विरोध को समाप्त किया जाना चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालयों द्वारा विभिन्न समारोह दिवसों में अभिभावकों को आमंत्रित किया जाना चाहिए तथा पुस्तिकाओं, समाचार पत्रों, फिल्म प्रदर्शनों और विद्धानों के व्याख्यानों द्वारा पारिवारिक जीवन की शिक्षा की धारणा का स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए।

पारिवारिक जीवन की शिक्षा पर संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन होना चाहिये और उसके निष्कर्षों का प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। जनसंचार माध्यमों के मुद्रित एवं अमुद्रित माध्यमों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।

पारिवारिक जीवन की शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख दायित्व राज्य का है। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकारों द्वारा जन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा और स्त्री शिक्षा का प्रसार किया जाए और परिवार के सदस्यों को शिक्षित किया जाए। इसके साथ–साथ बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, अर्थ की समस्या का समाधान अनेक समस्याओं का समाधान होगा। राज्य यह कार्य समाज के सहयोग से ही कर सकते हैं। अतः पारिवारिक जीवन की शिक्षा के विकास के लिए राज्य, समाज, विद्यालय और परिवार सभी को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा।

○○○○○

अपनी कहानी सुनायेंगे हम.....

–मृदुला सेठ

(हमारे समय के बहुचर्चित पुस्तक 'सेवन हैबिट्स ऑफ हायलि इफेक्टिव पीपुल' के लेखक स्टीफन आर कोवे ने दृष्टि परिवर्तन (Paradigm-shift) के अवधारणा की व्याख्या करते हुए एक दृष्टांत का उल्लेख किया है। लेखक बुजुर्गों के लिए विशेषरूप से विकसित एक पार्क में जाते हैं जहां कई वृद्ध लोग समाचार पत्र पढ़ रहे होते हैं, कई टहल रहे होते हैं। तभी एक व्यक्ति अपने छोटे दो बालकों को लेकर पार्क में प्रवेश करता है। दोनों बालक खेल–खेल में समूचे वातावरण में खलबली मचा देते हैं। वे किसी वृद्ध की छड़ी ले भागते हैं, तो किसी का समाचार पत्र ले लेते है। चंद ही मिनटों में उपस्थित बुजुर्ग परेशान हो उस व्यक्ति से आग्रह करते हैं कि वो अपने बच्चों को समझाये और यदि फिर भी वे ऐसा करने से बाज़ न आये तो वह उन्हें पार्क से बाहर ले जाये। व्यक्ति अपनी मजबूरी बताता है और कहता है कि मैं इन्हें कैसे समझाऊं यही सोच रहा हूं। बुजुर्ग कहते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है। तब वह व्यक्ति कहता है कि वस्तुतः मैं अपने इन दोनों बच्चों को सीधे अस्पताल से लेकर आ रहा हूं और वहां इनके माता का देहांत हो गया है। बच्चे इतने मासूम हैं कि उन्हें मैं उनके माता के ना होने की जानकारी नहीं दे पा रहा हूं। लेखक कहते हैं कि यह जानकारी मिलते ही सभी उपस्थित बुजुर्गों के नज़रिये में आमूल–चूल परिवर्तन हो जाता है। कोई उनके साथ खेलने लगता है तो कोई उन्हें अपनी मिठाईयां खाने के लिए देता है। लेखक कहता है कि हम सभी के जीवन में ऐसा पड़ाव आता है जहां कोई जानकारी हमारे सम्पूर्ण नज़रिये को बदलकर रख देता है। वस्तुतः यही दृष्टि परिवर्तन है। 'अपनी कहानी सुनायेंगे हम.....' श्रृंखला में मृदुला सेठ कुछ ऐसा ही कर गुजरने की अपेक्षा हम सभी से रखती हैं। प्रस्तुत है श्रृंखला की पहली आप बीती। – सम्पादक)

नया जीवन

मेरा नाम है टेकचन्द। मैं एक नेशबाज था। नशा छोडना आसान है छोड़ कर रहना बहुत मुश्किल। जब मैंने नशा छोड़ा मुझे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरे

दोस्तों ने मेरी रिकवरी में बहुत उलझनें डाली। मेरे बहुत से दोस्त नशे के लिए

उकसाते थे। कुछ दोस्त बोलते थे कब तक नहीं करेगा नशा! अब आती है मेरे परिवार की बारी जो मुझे हर समय शक की नजर से देखता था। परिवार के सदस्य मुझसे बोलते थे आज तो कुछ गड़बड़ है। लेकिन मैंने हर मुश्किल का सामना किया। मेरा एक ही मकसद था चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नशा नहीं करूंगा। मैं नशा छोडने के बाद SPYM (सोसाइटी फॉर द प्रोमोसन ऑफ यूथ एण्ड मासेज) में था और मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। मेरी मुश्किलें अपने आप ही धीरे–धीरे कम होती जा रही थी और मैं दिन प्रतिदिन अपने मुकाम में आगे बढ़ता जा रहा था। कभी जो लोग मुझे नफरत की नजर से देखते थे आज वही मुझे इतनी इज्जत देते है और जो लोग मुझे नशेड़ी या स्मैकी बोलते थे वो ही आज मुझे डॉक्टर साहब के नाम से बुलाते हैं। इन तीन सालों में मेरे हाथ से बहुत अच्छे–अच्छे काम हुए हैं। मैंने अपने नशेबाज भाईयों के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। मैं उनकी बहुत मदद करता हूं। मेरा एक दोस्त है। मैं उसका नाम नहीं लिखना चाहता। वो साई बाबा मन्दिर में रहता था। घर से बेघर था। उसे हम कोटला DIC (ड्राप इन सेंटर) में लेकर आए। वहां उसे नशे से मुक्त किया गया। उसे काम पर लगवाया गया। काम लगने के एक साल बाद उसकी शादी एक सुन्दर, सुशील लड़की से करवाई गयी। अब वो पति–पत्नी एक बच्चे के मां–बाप बनने वाले है और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मैंने एक क्लाइंट जो जे. जे. केम्प, टीगरी का है उसकी भी इलाज SPYM में करायी थी। आज उसकी रिकवरी भी डेढ़ साल की हो गई है। अब उसकी भी शादी होने वाली है। इसके परिवार वाले अपने हर कार्य में मुझे बड़े सम्मान के साथ बुलाते हैं और अपने रिश्तेदारों को ये बताते हैं कि टेकचन्द भाई ने हमारे लड़के को एक नई जिंदगी दी है। ऐसे मेरे बहुत नशे बाज भाई हैं जो मेरे साथ जुड़े और नशे से मुक्त हुए। कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ समय बाद रिटायर हो गए। और कुछ ऐसे हैं जो मुझे देखकर अपने आप से लड़ रहे हैं नशा छोड़ने के लिए। मैं आज बहुत खुश हूं। आज मैं जान गया हूं हर समस्या का हल नशा नहीं है। एक समस्या से बचने के लिए हम नशा करने लग जाते हैं लेकिन नशा करने से समस्या खत्म नहीं होती है बल्कि नशा करने से दस और समस्याएं आ जाती हैं। मैं एक नशे के मजे में फसां था। आज मैं अपने जीवन के हर मजे ले रहा हूं। मेरे परिवार वाले जो कभी

घर का कोई भी कार्य होने पर मुझे अपने पास नहीं बैठने देते थे आज वही घर के सभी कार्यों में मुझसे सलाह–मशवरा लेते हैं। कुल मिलाकर आज के दिन समाज और रिश्तेदारों में मेरा नाम मान–सम्मान से लिया जाता है।

मेरे दूसरे बर्थडे पर एक शराबी ने बिना मतलब के मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे उस समय बहुत गुस्सा आया पर मैंने गुस्से पर कन्ट्रोल किया और वहां से चल दिया। लेकिन वह शराबी मेरे पीछे–2 आया और फिर मुझसे झगड़ा करने लगा। मेरी उसकी हाथापाई हो गई। फिर वह मुझसे पता पूछने लगा। जब मैंने उसे अपना पता और नाम बताया एवं कुछ दोस्तों के नाम बताए तब उसके होश उड़ गए। वह मुझसे नम्रतापूर्वक बातचीत करते हुए माफी मांगने लगा और अपनी गलती को स्वीकार करते हुए शर्मिंदा हुआ। उस समय मुझे इतनी खुशी हुई जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मुझे इतनी खुशी क्यों हुई? क्योंकि इसमें मेरी ईमानदारी की जीत हुई थी।

मुझे सबसे बड़ी दुख उस बात की है कि मेरी 32 महीनों की कमायी हुई प्रतिष्ठा मिटटी में मिल गयी। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, मेरा छोटा भाई जो कि 18 महीनों बाद कोलेप्स हो गया, उस समय भी मेरा मन काफी दुखी हुआ। मेरे भाई के कोलेप्स होने का कारण मेरे कुछ खास दोस्त थे जिन्होंने काउन्सलर एवं नशे से सम्बन्धित सभी प्रोगाम में जाने वाले मेरे भाई की मुसीबत की घड़ी में किसी प्रकार की मदद नहीं की और ना ही मुझे किसी प्रकार की जानकारी दी। अगर मुझे उस समय जानकारी मिल गई होती तो मेरा पुरा प्रयास होता नशे जैसी महामारी से अपने छोटे भाई को बचा लेने का। मेरे शुभचिन्तकों जिन्होंने मेरे लिए हमेशा हर सुख–दुख में साथ देने का प्रयास किया उस समय ना मेरा साथ दिया और ना मेरे छोटे भाई को बचाने का प्रयास किया। इन 3 वर्षों में सबसे बड़ा दुख यह मिला कि उस समय मेरे मन में कई नाकारात्मक और साकारात्मक विचार आऐ। नशा फिर से करने जैसा विचार आया और मेरे दोस्त उन विचारों से खेलना चाहते थे।

भगवान की कृप्या से आज डीआईसी में मेरे कलाईन्ट आपस में शर्त लगाते हैं। एक कलाईन्ट आकर डीआईसी में दूसरे कलाईन्ट को बताता है कल टेकचन्द भाई ने नशा करा था। सूनने वाला कलाईन्ट मेरे ऊपर शर्त लगाता है, टेकचन्द भाई

नशा कर ही नहीं सकता और शर्त में डबल पैसे देने को तैयार हो जाता है क्योंकि अगर मैं एक दिन भी नशा करूंगा तो कलाईन्ट से नहीं छिप सकूंगा। खैर! मुझे जब पता चला की मेरे ऊपर शर्त लग रही तब मुझे बड़ी खुशी हुई।

– टेकचन्द

(हम सबकी जिन्दगी खत्म न होने वाली एक कहानी है। इस लम्बी कहानी में जुड़ी हैं कई छोटी–छोटी कहानियां।

जीवन के सफर में चलते हुए कई बार कोई विशेष व्यक्ति मिल जाता है। उसका हमारी सोच, समझ और व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कोई अनहोनी घटना हमारी जिन्दगी में ऐसा मोड़ लाती है जिसकी हमने कल्पना भी न की हो। जब हम किसी प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो हमें लोगों से मिलने का मौका मिलता है। कई गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलता है।

ये अनुभव ही तो है – हमारी अपनी कहानी क्या हुआ? कब? कैसे? क्या मुश्किलें आईं? उनका सामना हमने कैसे किया? कौन बने सहायक? किन्होंने मुश्किलें बढ़ाई? किसका प्रभाव हम पर पड़ा और किसे हमने प्रभावित किया?

सच्ची कहानियां पढ़ने से हमें प्रेरणा मिलती है। हमारी कहानियां दूसरेां को प्रेरणा दे सकती हैं। इस श्रृंखला में हम बदलाव की कहानियां पेश कर रहे हैं। कुछ कहानियां स्वयं की लिखी हुई हैं। कुछ निरक्षर कथावाचकों की कहानियां दूसरों ने लिखी हैं। आशा है इसे पढ़ने और सुनने से आपको भी अपने में आए बदलाव की कहानी लिखने की प्रेरणा मिलेगी।

– मृदुला सेठ)

ग्रामीण प्रौढ़ों में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागरूकता की स्थिति–समस्याएं एवं उपाय

–महेन्द्र कुमार वर्मा

भारत गांवों का देश है। ग्रामीण लोग मुख्य रूप से कृषि कार्य से जुड़े हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, अर्थात भारतीय किसानों की दशा आज भी दयनीय है। ग्रामीण लोग गरीबी, अशिक्षा, अज्ञानता, संसाधनों से रहित अभाव ग्रस्त एंव कठिन परिस्थितियों में कठिन जीवन शैली के साथ जीवनयापन कर रहे हैं। आर्थिक तंगी एवं जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं से अपने जीवन की गाड़ी हॉक रहे ग्रामीण विकास की दौड़ में कोसों पीछे हैं। राष्ट्र के विकास में अपना सब कुछ समर्पित करने वाले ग्रामीणों का उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों ही रूपों में शोषण होता आ रहा है। बावजूद इसके कि उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों ही समाज के सदस्य हैं। भारत में सदियों से समाज के ये दोनों अंग एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए आपसी सहयोग, समन्वय, सद्भाव एवं स्नेह बनाये हुए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ऐसे पर्याप्त उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां किसान अपने अनाज/उत्पाद को गांव में कैश के रूप में प्रयोग करते हैं। मजदूरी के रूप में कुम्हार, लोहार, धोबी, दर्जी, नाई, मोची तथा अन्य प्रजाजनों को पारिश्रमिक के रूप में अनाज स्वीकार था। इससे एक दूसरे के मध्य सम्पर्क, संवाद एवं सद्भाव का वातावरण स्थापित था। कुछ सीमा तक एक दूसरे के प्रति सेवा भावना भी थी। परन्तु जैसे–जैसे राष्ट्र विकास करता गया, विज्ञान एवं सूचना तकनीकी के कारण विश्व के बीच की दूरी समाप्त हो गयी, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां राष्ट्र पर छा जाने लगीं और साथ ही साथ पाश्चात्य सभ्यता एवं भोगवादी संस्कृति भी भारतीय समाज पर प्रभावी होने लगी। ग्रामीण भी इससे अछूते नहीं रह सके। ग्रामीण क्षेत्र के लघु उद्योग एवं जीवनयापन के लिए अपनाये जाने वाले छोटे पेशे यथा नाई, धोबी, दर्जी, लोहार, कुम्हार, कहार, बनमानुष या मुसहर आदि के पेशे संकट की स्थिति में पहुंच गये जिससे ग्रामीण क्षेत्र का एक व्यवस्थित एवं सदियों से चला आ रहा ताना–बाना छिन्न–भिन्न हो गया। दूसरी तरफ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लाभ कमाने

एवं अधिक से अधिक लोगों तक अपने उत्पादन पहुंचाने के उद्देश्य से भ्रामक, आकर्षक व मनमोहक प्रचार करके शिक्षित नवयुवकों एवं सम्पन्न परिवारों को अपने वशीभूत कर लिया जिससे ये लोग प्रसन्नता पूर्वक उनके बनाये हुए जाल में उलझ कर शोषण का शिकार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण प्रौढ़ की दशा की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। ग्रामीण प्रौढ़ों की छवि सामान्यतया सरल, निश्छल, परिश्रमी, ईमानदार, रीति–रिवाज एवं परम्पराओं से जुड़े, शैक्षिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की बनी हुई है। भौतिकता से रहित एवं आधुनिकता से परे जीवन व्यतीत करने वाले ग्रामीण प्रौढ़ों के लिए उपभोक्ता संरक्षण एक नई संकल्पना है। उपभोक्ता संरक्षण के प्रति ग्रामीण प्रौढ़ों में जागरूकता की स्थिति जानने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के सौ प्रौढ़ पुरूष–महिलाओं से उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित अत्यन्त सरल बारह प्रश्नों के उत्तर हां अथवा नहीं में प्राप्त किये गये। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों को सारणी में प्रश्नों के साथ प्रस्तुत किया गया है।

सारणी – ग्रामीण प्रौढ़ों में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागरूकता की स्थिति –

		हां में प्राप्त उत्तरों की संख्या एवं प्रतिशत कोष्ठक में					
		समस्त ग्रामीण	पुरूष	महिला	शिक्षित	अशिक्षित	अनु.जाति
	प्रश्न ↓ ग्रामीणों की संख्या →	100	52	48	66	34	32
1.	क्या आप उपभोक्ता फोरम के विषय में जानते हैं?	24	22	02	24	00	05
		(24)	(42.3)	(4.1)	(36.3)	(00)	(15.6)
2.	क्या आप एगमार्क से परिचित हैं?	22	18	4	20	2	7
		(22)	(34.6)	(8.3)	(30.3)	(5.8)	(21.8)
3.	कोई भी खाद्य पदार्थ खरीदते समय क्या आप उपभोग अवधि की सीमा देखते हैं?	32	11	21	27	5	11
		(32)	(21.1)	(43.7)	(40.9)	(14.7)	(34.3)
4.	दवा खरीदते समय क्या आप एक्सपायरी तिथि को देखते हैं?	65	40	25	54	11	20
		(65)	(76.9)	(52.5)	(81.8)	(32.3)	(62.5)
5.	क्या आप क्रय की गयी वस्तु की वारन्टी का आशय समझते हैं?	46	28	18	40	6	16
		(46)	(53.9)	(37.5)	(60.6)	(17.6)	(50)
6.	सामान खरीदते समय क्या आप कैशमेमों या रसीद लेते हैं?	48	28	20	34	14	15
		(48)	(53.8)	(41.6)	(51.5)	(41.1)	(46.8)

7.	सामग्री क्रय करते समय क्या आप तौली या मापी जाने वाली वाट, माप की परिशुद्वता जानने का प्रयास करते हैं?	47 (47)	25 (48)	22 (45.8)	35 (53)	12 (35.2)	14 (43.7)
8.	क्या आप सामग्री क्रय करते समय उसके मापने, नापने अथवा तौलने के ढंग अथवा उसके यंत्रों पर दृष्टि रखते हैं?	92 (92)	50 (96.1)	42 (87.5)	64 (96.9)	28 (82.3)	28 (87.5
9.	क्या आप आई0एस0आई मार्क से परिचित हैं?	40 (40)	28 (53.8)	8 (16.6)	30 (45.4)	10 (29.4)	14 (43.7)
10.	क्या आप उपभोक्ता अधिकारों से परिचत हैं?	20 (20)	14 (26.9)	6 (12.4)	20 (30.3)	00 00	5 (15.6)
11.	क्या आप समान खरीदते समय मोल भाव करते हैं?	100 (100)	52 (100)	48 (100)	66 (100)	34 (100)	32 (100)
12.	क्या आप वस्तु खरीदते समय उसका विक्रय मूल्य देखते हैं?	80 (80)	48 (92.3)	32 (66.6)	60 (90.9)	20 (58.8)	24 (75)
	औसत प्रतिशत	**51.75**	**58.3**	**43.05**	**59.12**	**34.83**	**49.73**

सारणी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागरूकता के सम्बन्ध में पूछे गये सामान्य प्रश्नों के उत्तर देने में ग्रामीण उपभोक्ता पूरी तरह से सक्षम नहीं पाये गये। 24 प्रतिशत ग्रामीण उपभोक्ता फोरम से परिचित हैं, और मात्र 22 प्रतिशत उपभोक्ता एगमार्क से परिचित हैं। खाद्य पदार्थ यथा बिस्कुट आदि पर उपभोग अवधि की तिथि मात्र 32 प्रतिशत प्रौढ़ देखते हैं जबकि उसी से मिलते–जुलते प्रश्न दवाओं की एक्सपायरी तिथि जानने की कोशिश 65 प्रतिशत ग्रामीण करते हैं। यह रोचक तथ्य है। वारंटी के आशय से 46 प्रतिशत तथा आई0एस0आई0 मार्क से 40 प्रतिशत ग्रामीण प्रौढ़ परिचित हैं। बाट तथा माप की परिशुद्धता जानने का प्रयास 47 प्रतिशत ग्रामीण करते हैं तथा मात्र 20 प्रतिशत ग्रामीण ही उपभोक्ता अधिकारों से परिचित हैं। जिन प्रश्नों के प्रति सर्वाधिक सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुए हैं वे इस प्रकार हैं : 80 प्रतिशत ग्रामीण वस्तु खरीदते समय उसका विक्रय मूल्य देखते हैं, 92 प्रतिशत ग्रामीण तौलते या मापते समय विक्रेता के तौलने के ढंग तथा यंत्रों पर दृष्टि रखते हैं तथा सभी ग्रामीण

प्रौढ़ों ने स्वीकार किया कि वे सामान खरीदते समय मोल भाव करते हैं जो कि स्वाभाविक भी है।

सारणी से ज्ञात होता है कि अशिक्षित ग्रामीण प्रौढ़ों की स्थिति सर्वाधिक चिन्ताजनक है। आई0 एस0 आई0, उपभोक्ता फोरम एवं उपभोक्ता अधिकारों से परिचित अशिक्षित ग्रामीणों का प्रतिशत शून्य पाया गया। इनमें एगमार्क से परिचित होने, वस्तु के उपभोग की अवधि सीमा, वारण्टी का आशय जानने जैसे प्रश्नों का सकारात्मक उत्तर का प्रतिशत अत्यन्त न्यून पाया गया जो कि क्रमशः 5.8, 14.7, 17.6 प्रतिशत पायी गयी। यह शिक्षित न होने का स्पष्ट दुष्परिणाम है। अशिक्षित ग्रामीण प्रौढ़ों ने जिन प्रश्नों के अत्याधिक सकारात्मक उत्तर दिये उनमें क्रय करते समय मापने तौलने के ढंग व यंत्रों पर नजर रखना 82.3 प्रतिशत, खरीदते समय मोल भाव करना शत–प्रतिशत तथा वस्तु के विक्रय मूल्य को जानने का प्रयास करना 58.8 प्रतिशत सम्मिलित है। अशिक्षित वर्ग में से कुछ ने ऐसे प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर दिये हैं जिसमें अक्षर ज्ञान की आवश्यकता होती है यथा प्रश्न संख्या तीन चार और बारह। इस सम्बन्ध में उन्होनें बताया कि वे तत्सम्बन्धी जानकारी दुकान के आस–पास खड़े पढ़े लिखे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के ग्रामीण प्रौढ़ों की अनुक्रिया उत्साहित करने वाली प्राप्त हुई जो कि अशिक्षित प्रौढ़ों से श्रेष्ठ देखी गई तथा सामान्य प्रौढ़ों के काफी नजदीक पाई गई। निश्चित रूप से इसका कारण इस वर्ग में हुई शैक्षिक प्रसार, जागरूकता एवं सामाजिक समरसता है। पुरूष और महिला के सकारात्मक उत्तर प्रतिशत में पर्याप्त अन्तर दिखाई पड़ रहा है जो कि सम्भवतः शिक्षा व जागरूकता के अभाव के कारण है। इसके साथ ही पुरूष एवं शिक्षित वर्ग के सकारात्मक उत्तरों का प्रतिशत लगभग समान प्राप्त हुआ है। ऐसा सम्भवतः पुरूषों के अधिक संख्या में शिक्षित, जागरूक होने के कारण है। प्रश्नों की सरलता को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागरूकता की स्थिति का निम्न मानक 40 से कम अत्यन्त असन्तोषजनक, 40 से 60 तक कम सन्तोषजनक, 60 से 80 तक सन्तोषजनक तथा 80 के ऊपर श्रेष्ठ मानकर वर्णन करें तो देखते हैं कि समस्त ग्रामीणों में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागरूकता की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है यद्यपि पुरूष एवं शिक्षित ग्रामीण वर्ग इसके अत्यन्त निकट हैं। सबसे दयनीय स्थिति ग्रामीण अशिक्षित वर्ग की है जिसे 34.83 प्रतिशत के साथ अत्यन्त असन्तोषजनक श्रेणी में रखा गया है।

ग्रामीण प्रौढ़ों में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागरूकता की समस्या परिवेशजनित

है। बौद्धिक क्षमता में कमी न होने के उपरान्त भी व्यस्त एवं कठिन जीवन शैली, सीमित संसाधनों एवं सीमित दायरे में न्यूनतम आवश्यकताओं से जीवन यापन करना, सम्पूर्ण दिनचर्या कृषि अथवा अन्य घरेलू कार्यों पर ही केन्द्रित होना, अधिक करने के उपरान्त भी आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, शिक्षा का समुचित प्रसार न होना, शासन की ग्रामीणों के प्रति उदासीनता, नीतियों के प्रति शासकीय शिथिलता, निष्क्रियता से परिपूर्ण सरकारी कार्यक्रम, ग्रामीणों को अशक्त करने वाली नीतियां, शिक्षित लोगों का ग्रामीण क्षेत्र से पलायन, सरकारी सेवकों, समाज सेवकों एवं उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित स्वयं सेवियों का ग्रामीण क्षेत्र में रूचि न लेना आदि उनके मौजूदा हालात के प्रमुख कारण हैं।

ग्रामीण प्रौढ़ों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए गांव के शिक्षित एवं प्रतिष्ठित लोगों के माध्यम से सामूहिक चर्चाएं करके, सूचना तकनीक का प्रभावी प्रयोग करके, यथा रेड़ियों, दूरदर्शन एवं ग्रामीण प्रौढ़ों के लिए विशेष समाचार पत्र प्रकाशित करके, मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से, यथा नुक्कड़ नाटक, कठपुतली, डाक्यूमेन्टरी फिल्म के माध्यम से, शिक्षा तथा समाज कल्याण की योजनाओं में उपभोक्ता संरक्षण की विषय वस्तु को सम्मिलित करके, गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करके, सरकारी एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समर्पित प्रयास एवं शिक्षित ग्रामीणों को उपभोक्ता संरक्षण के प्रति विशेष रूप से जागरूक एवं प्रशिक्षित करके किया जा सकता है।

ग्रामीण प्रौढ़ की स्थिति कठिन श्रम करने के उपरान्त भी आर्थिक विपन्नता से ग्रसित है। वहीं इनकी अच्छी शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छी शिक्षा के अभाव में तथा बिना शासन व समाज के अन्य अंगों के संबल प्रदान किये उपभोक्ता संरक्षण के प्रति ग्रामीण प्रौढ़ों में जागरूकता उत्पन्न हो पाना मात्र कल्पना ही है। ग्रामीणों को जागरूक किया जाना समय की आवश्यकता है तथा इन्हें जागरूक करके ही राष्ट्र के विकास की धारा को स्थायी व मजबूत किया जा सकता है।

○○○○○

गीता–दर्शन में शिक्षक संकल्पना

– विकास मोदी

प्रत्येक दर्शन के अनुसार शिक्षक के लिए कुछ न कुछ चारित्रिक एवं व्यावहारिक गुण तथा व्यावहारिक मूल्य वांछनीय है। शिक्षक के सच्चरित्र एवं आदर्श की छाप बालकों पर पड़ती है और उन्हीं के अनुरूप छात्र भी अपना जीवन दर्शन निश्चित करता है। अध्यापक को दर्शन से व्यावसायिक कर्त्तव्य परायणता में प्रेरणा मिलती है। अतः भावी नागरिकों का निर्माण यदि शिक्षक को करना है तो उसे शिक्षा एवं ज्ञान प्रदान करने से पूर्व अपना एक दर्शन स्थापित करना चाहिए तभी उसका कार्य सार्थक होगा। प्रत्येक दर्शन में शिक्षक की एक विशिष्ट संकल्पना दी गई है। गीता–दर्शन में जो शिक्षक संकल्पना है वह इस प्रकार से है –

शिक्षक में एक विद्रोही की भावना विद्यमान हो :

शिक्षक वही है जो प्रसुप्त समस्याओं को जगा देता है, जिज्ञासा को जागृत कर देता है व बालकों को उनके स्वयं के अनुसंधान के लिए साहस और अभय से भर देता है लेकिन इस अर्थ में कोई व्यक्ति शिक्षक तभी हो सकता है, जब वह स्वयं आग्रहों एवं पक्षपातों से मुक्त हो। इसलिए शिक्षक होना बड़ी साधना है।

छात्रों के प्रति अनन्य प्रेम हो :

गीता दर्शन के अनुसार अध्यापक के मन में अपने शिष्य के प्रति अनन्त प्रेम होना चाहिए। अपने छात्र के हित की कामना उसके मन में होनी चाहिए। गीता के 18 वें अध्याय के 64 वें श्लोक में इसका उल्लेख है। श्रीकृष्ण कहते हैं –

सर्वभूतेषु भूयः श्रतु में परमं वचः।
इष्टोऽ सिमेदृढ़मिति ततो तक्ष्यामि तेहितम्।। (गीता 18/64)

अर्थात् – "तू सबसे अधिक गुप्त मेरा परम् (रहस्यमय) वचन सुन, क्योंकि तू मुझे अत्यन्त प्यारा है, इसलिए मैं तेरे हित के निमित्त बात करता हूं। मुझमें मन वाला हो, अर्थात् मैं परमात्मा ही सब कुछ हूं, यह मन में दृढ़ निश्चय रख"

शिक्षक के संदर्भ में इसे लें तो – शिक्षक को अपने छात्रों के हितों की कामना होनी चाहिए। छात्र के लिए जो कल्याणकारी है, उसी का उद्देश्यपूर्ण उपदेश करना चाहिए। उसे छात्रों से कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए।

छात्रों से अन्धानुकरण की अपेक्षा न हो :

गीता के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक तक भगवान कृष्ण ने अनेक दार्शनिक विचारों, सारगर्भित युक्तियों एवं व्यवहार विज्ञान के आधार पर जो ज्ञान दिया है वह शून्य एवं गंभीर विचार का विषय है। इसलिए भगवान कहते है कि – "इन्हें सरसरी तौर से सुनकर ही निश्चिंत नहीं होना चाहिए तथा मेरे वचन होने के कारण इनको अन्ध श्रद्धा से ही प्रमाणिक नहीं मान लेना चाहिए बल्कि आदि से अन्त तक उपदेश पर पूरा विचार करना चाहिए तथा जिसे जो अच्छा लगे वही करना चाहिए अर्थात विचार परतंत्रता नहीं होनी चाहिए।"

"शिक्षक को छात्र के व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए, उसे छात्र से अन्धानुकरण की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। शिक्षक को अपनी राय देने का अधिकार है परन्तु निर्णय की स्वतंत्रता छात्र की है।"

शिक्षक के लिए बालक की प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है :

गीता दर्शन के अनुसार बालक विकास की कुछ निश्चित प्रक्रिया से गुजरता है जिसके परिणामस्वरूप उसमें एक विशिष्ट व्यक्तित्व निर्मित होता है, जिसको बालक की जन्मजात प्राकृतिक शक्तियां आधार प्रदान करती हैं। अतः शिक्षक के लिए बालक की प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। गीता दर्शन में बालक के आचरण को 'स्वधर्म' अथवा 'सहज कर्म' कहा गया है। अध्यापक को बालक के स्वधर्म का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह शिक्षण में छात्रों की अभिरूचि के समरूप अभिप्रेरणा का प्रयोग करने में समक्ष होगा। यह अभिप्रेरणा कभी तो परिस्थितिवश व कभी प्रकृतिवश उत्पन्न होती है।

शिक्षक सर्वोतम गुणों से युक्त हो :

गीता में एक आदर्श अध्यापक की संकल्पना स्पष्ट रूप से की गई है। इसके अनुसार अध्यापक समस्त दृष्टिकोणों से सर्वोतम गुणों से युक्त होना चाहिए। इसके लिए सत्य को केवल सिद्ध ही नहीं करना वरन् दूसरों तक पहुंचाना है। उसे दूसरों तक वही पहुंचा सकता है जिसने सत्य पर चिंतन किया हो।

शिक्षक का स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशवान हो :

शिक्षक का स्वरूप भी छात्र के लिए सूर्य के समान ही प्रकाशवान होना चाहिए। वायु देवताओं में मरीची तीव्र गति वाले देवता है, जिससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते है कि श्रेष्ठ शिक्षक सदैव गतिशील रहता है।

विद्यार्थियों में आत्मविश्वास लाए/यथार्थ पथ प्रदर्शक बने :

शिक्षक का यह दायित्व है कि वह अपने शिष्यों में यह आत्मविश्वास जगाए कि वे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बालक अनेक प्रकार की चिन्ताओं से व्यथित रहता है। शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह अपने शिष्यों में यह आत्मविश्वास जगाए कि वे सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

गीता दर्शन में निहित शिक्षक–संकल्पना की वर्तमान में उपयोगिता :

वर्तमान समय में चारों और चारित्रिक ह्रास दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व लोग देशहित में त्याग और निःस्वार्थ भाव से कार्य करने को तैयार रहते थे। तब ईमानदार व सच्चे लोगों को समाज में सम्मान प्राप्त था। परन्तु स्वतंत्रता काल में समाज का पतन देखते–देखते ही हो गया। आज मानव का नैतिक आधार ही नष्ट हो गया प्रतीत होता है। प्रश्न यह उठता है कि इन बदली हुई परिस्थितियों में शिक्षक से क्या अपेक्षा की जाती है? इन बदली हुई परिस्थितियों में गीता–दर्शन की शिक्षक–संकल्पना का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उस समय की परिस्थितियों के अनुसार शिक्षक का जो स्वरूप रचा गया, बिल्कुल उसके विपरीत परिस्थितियां आज उत्पन्न हुई हैं। अतः गीता–दर्शन की शिक्षक–संकल्पना का महत्व दृष्टिगोचर होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षक के स्वविकास की दिशा क्या होनी चाहिए।

ooooo

ग्रामीण महिला सशक्तीकरण में स्व–सहायता समूहों की भूमिका

– जितेन्द्र कुमार पाण्डेय एवं प्रतिभा पाण्डेय

प्रस्तावना :

महात्मा गांधी ने कहा था – "मैं आपको एक मंत्र देता हूं। जब कभी भी आप अपने कार्यनीति के प्रति संदेह में हो या जब अपनेपन का बोध आपके ऊपर हावी हो जाए तो यह काम करें ऐसे किसी अत्यंत निर्धन एवं कमजोर व्यक्ति (महिला) का चेहरा याद करें और अपने आप से पूछें कि आपने उसके उपकार के लिए क्या किया। क्या इससे उसे कुछ लाभ होगा? क्या इससे उसके जीवन और भाग्य में कोई बदलाव होगा। दूसरे शब्दों में क्या इससे करोड़ों भूखे–प्यासे ग्रामीण लोगों को भूख से मुक्ति मिलेगी? तभी आप अपने संदेह और स्वाभिमान को दूर हुआ पाएगें।" आज आवश्यकता महात्मा गांधी के इन्हीं विचारों को साकार करने की है। विकास के पांच दशक बीत जाने के बाद भी, गरीबी आज की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण समाज की प्रमुख चुनौती बनी हुई है। आज भी हमारे देश की 72 प्रतिशत जनसंख्या गांवो में निवास करती है। यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भारत का वास्तविक विकास तभी संभव हो सकता है जब इसके गांवों के लोगों (महिला एवं पुरूष) का विकास हो। ग्रामीण भारत में महिला सशक्तीकरण एक लम्बी और कठिन प्रक्रिया है क्योंकि यह वस्तुतः समाज में उनकी हैसियत से जुड़ा मुद्दा है। इसके लिए ग्रामीण समाज के लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाना आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को परम्परागत बंधनों से मुक्त करने तथा आर्थिक विकास कर उन्हें सशक्त बनाने के लिए कुछ विशेष रियायतें, प्रोत्साहन और संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं। अब तक महिलाओं के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अनेक शैक्षणिक, विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाएं संचालित की गई हैं। फिर भी ग्रामीण महिलाओं के विकास की गति आशा के अनुरूप नहीं बढ़ पा रही हैं। ग्रामीण महिलाएं विकास की दौड़ में अभी भी काफी पीछे हैं। वे परिवार व समाज में शोषण और

अत्याचार का शिकार हो रही हैं। महिलाएं खेतीबाड़ी से लेकर मजदूरी तक में पुरूषों के साथ कार्य कर परिवार की आय में अपना योगदान देती हैं परन्तु उनके द्वारा किए गए अधिकांश कार्यों को मात्र पारिवारिक दायित्व माना जाता है। विडम्बना यह है कि काम–धंधे में सतत सक्रिय रहने पर भी महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हैं। वे पुरूषों पर आश्रित रहती हैं। यही समाज या परिवार में उनकी कमजोर स्थिति का मूल कारण है।

अतः स्वस्थ और संतुलित ग्रामीण समाज निर्माण के लिये भी महिला विकास का कार्य किया जाना जरूरी है। दुनिया की सभी संस्कृतियों में सामान्य रूप से यह समानता देखी गई है कि आभावग्रस्त लोग समूहों में रहते हुए गुजर–बसर करते हैं। सामूहिकता का यही भाव भारतीय संस्कृति की आत्मा है जिसका साक्षात वर्तमान में ग्रामीण भारत के मलिन बस्तियों में, गरीब तबको में, दलित व वंचित समाजों में होता है। महिलाओं में इसी सामूहिकता के भाव को आधार बनाते हुए निर्धनों–वंचितों को आर्थिक उन्नति का अवसर प्रदान करने के लिये, विशेष रूप से जहां महिलायें अपनी सभी जरूरतों के लिये पुरूषों पर निर्भर रही है, "स्व–सहायता समूह" की अवधारण सामने आई। अकेली ग्रामीण महिला के लिये अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर कुछ करना और आत्मनिर्भर बनाना आसान नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखकर भारत में 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक नया कार्यक्रम लागू किया गया जिसके अंतर्गत स्व–सहायता समूहों का निर्माण किया जाता है।

अध्ययन के उद्देश्य :

वर्तमान अध्ययन के प्रमुख उद्देश्यों में स्व–सहायता समूहों द्वारा ग्रामीण महिलाओं में आये सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं रहन–सहन के परिवर्तनों की भूमिका ज्ञात करने के साथ–साथ इनकी समस्याओं को जानना एवं इनके संभावित समाधान तलाशना था।

निदर्श :

आंकड़ों का संग्रह सागर संभाग के पांचों जिले सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के विभिन्न गांवों के 100 महिला स्व–सहायता समूहों के सदस्यों से साक्षात्कार

द्वारा किया गया।

अध्ययन विधि :

तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिए शोधकर्ता द्वारा साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। साक्षात्कार अनुसूची के विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से प्राप्त तथ्यों के आधार पर उनका वर्गीकरण एवं विश्लेषण कर निष्कर्ष प्रस्तुत किये गये।

निदर्श की स्थिति :

शोधकर्ता द्वारा निदर्श की जाति, शिक्षा, सदस्य संख्या एवं समूह से जुड़ने की अवधि के आधार पर निदर्श की स्थिति :

तालिका क्र. 01

विभिन्न घटकों के आधार पर निदर्श की स्थिति

क्र.	घटक	विभिन्न स्तर			कुल	
01	जाति	अनु. जनजाति	अनु. जाति	पिछड़ा वर्ग	सामान्य	
	सदस्य संख्या	221		301	319	209
02	शिक्षा	निरक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	उ. माध्यमिक	उच्च शिक्षा
	सदस्य संख्या	387	397	187	50	27
03	सदस्यों की संख्या		14	12	11	10
	समूह संख्या		10	12	18	60
04	समूह से जुड़ने की अवधि (वर्षो में)		1–2	2–3	3–4	4 से ऊपर
	समूह संख्या		29	14	20	37

निदर्श में लिये गये सागर संभाग (सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़) के कुल 100 महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा की जाने वाली प्रमुख आर्थिक गतिविधियां इस प्रकार है :

तालिका क्र. 02

अध्ययन में आये महिला स्व–सहायता समूहों की प्रमुख गतिविधियां

क्र.	समूह गतिविधि	समूह संख्या
01.	ईंट निर्माण	07
02.	मछली पालन	05
03.	बकरी पालन	11
04.	दूध डेयरी	23
05.	मोमबत्ती+अगरबत्ती	12
06.	वनोपज संग्रह	03
07.	बॉस बर्तन	07
08.	बड़ी पापड़ + अचार	07
09.	खादबीज दुकान	02
10.	दलिया निर्माण	04
11.	मध्याह्न भोजन	03
12.	सिलाई व्यवसाय	09
13.	मनिहारी	04
14.	सब्जी व्यवसाय	03

निष्कर्ष :

शोध अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण और व्याख्या द्वारा प्राप्त निष्कर्षो में से आवश्यकतानुसार प्रमुख निष्कर्ष निम्नांकित है :

स्व–सहायता समूहों के सदस्यों की जाति :

महिला स्व–सहायता समूहों में सर्वाधिक सदस्य पिछड़े वर्गों की थी।

समूह सदस्यों की शिक्षा :

स्व–सहायता समूहों की अधिकांश महिलाएं केवल प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त थी।

समूह सदस्यों की संख्या :

अधिकांश महिला स्व–सहायता समूहों में सदस्यों की संख्या दस थी।

समूह से जुड़ने की अवधि :

सर्वाधिक 37 प्रतिशत समूहों के सदस्य 4 एवं उससे अधिक वर्षों से समूहों से जुड़े पाये गये।

समूह की आर्थिक गतिविधियां :

महिला स्व–सहायता समूहों की आर्थिक गतिविधियों में प्रमुख रूप से ईट निर्माण, डेयरी व्यवसाय, बकरी पालन, अगरबत्ती व्यवसाय, सिलाई व्यवसाय, बांस बर्तन, बड़ी पापड़, अचार निर्माण, मछली पालन, मनिहारी, मध्यान भोजन, दलिया निर्माण आदि थे। इन प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में अधिकांश कार्य वे थे जिनमें पहले केवल पुरूषों का एकाधिकार हुआ करता था पर समूहों के माध्यम से महिलायें ये कार्य सफलता पूर्वक संपन्न कर रही हैं।

सूमह से जुड़ने के कारण :

सभी गरीब ग्रामीण महिलाओं के स्व–सहायता समूहों से जुड़ने के कारण वरीयता क्रम में आत्मनिर्भर बनना, अपनी सहायता स्वयं करना, अपनी क्षमता बढ़ाना, बचत की प्रवृत्ति का विकास करना था। अतः कहा जा सकता है ग्रामीण महिलायें स्व–सहायता समूहों के माध्यम से अपने विकास को गति दे रही हैं।

समूह की बैठक :

समूह से जुड़ी महिलायें नियमित रूप से बैठक करती थी। बैठक में महिलाओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत से ऊपर पायी गयी। यह भी पाया गया कि सभी समूह अपनी सदस्यों के यहां बारी–बारी से बैठकें करते थे। इन बैठकों में वे अपने विकास की योजना बनाने के साथ–साथ अपनी सामूहिक एवं व्यक्तिगत समस्याओं पर भी चर्चा करती एवं उनके समाधान का प्रयास भी करती थी।

समूह की बचत :

महिला समूहों के 4/5 भाग द्वारा मासिक बचत किया जाना देखा गया। अधिकांश महिला समूहों के सदस्य 50 रूपयों की नियमित मासिक बचत कर रहे थे। ये सभी महिलाएं यह बचत राशि अपनी मजदूरी एवं अन्य कार्यों से मिली रकम में से कुछ–कुछ राशि बचाकर करती थी।

समूह द्वारा दिये गये ऋण :

महिला समूहों के 3/4 भाग द्वारा समूह से आर्थिक लेन–देन किया जाना पाया गया। साथ ही दिये गये ऋण वापसी की स्थिति अच्छी पायी गयी। इन महिलाओं ने समूह से जो ऋण लिया उसका उपयोग बच्चों की पढ़ाई, बीमारी, भोजन, त्यौहार, घरेलू सामग्री क्रय एवं विवाह जैसे कार्यों में किया जिसके लिये इन्हें हमेशा पुरूषों पर निर्भर रहना पड़ता था।

ऋण वापसी न होने पर की जाने वाली कार्यवाही :

जिन महिला समूह के सदस्यों ने समूह का ऋण समय पर नहीं लौटाया उसके लिये समूह के सदस्यों द्वारा उनको समझाने, उनकी समस्या को जानने एवं उसका समाधान खोजने, कम से कम किस्तों में ऋण जमा करवाने, जमा राशि से ऋण काटने आदि का प्रयास किया गया।

समूह के लेखे :

90 प्रतिशत महिला समूहों के पास उनके समूह के लेखे लिखित रूप में मौजूद थे। ये लेखे समूह के ही अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा लिखा गया था एवं उन्हीं के द्वारा इनका रखरखाव भी किया जाता था। इन समूहों के अनपढ़ महिला अध्यक्ष एवं सचिवों ने पहले लिखना एवं पढ़ना सीखा एवं बाद में गांव के सचिव एवं सहायक विस्तार विकास अधिकारी से लेखों को लिखे जाने का प्रशिक्षण लेकर स्वयं अपने समूह के लेखे लिखे। इससे इन्होंने पढ़ने–लिखने के साथ–साथ अपने जीवन स्तर में भी सुधार किया।

समूहों की ग्रेडिंग :

अध्ययन में आये 80 प्रतिशत समूहों को बैंक द्वारा ऋण एवं अनुदान प्राप्त हुआ था। महिला समूहों के लगभग 3/4 भाग द्वारा प्राप्त ऋणों का प्रयोग समूह की आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाने में किया जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त हुआ। अतः समूह से जुड़ने के बाद इन महिलाओं में रोजगार करने एवं राशि का सही उपयोग करने की समझ बढ़ी। साथ ही उन्होंने अपने आपको आर्थिक एंव समाजिक रूप से सशक्त बनाने का सही रास्ता भी सीख लिया।

समूहों की समस्यायें :

महिला स्व–सहायता समूहों द्वारा बतलाई गई समस्याओं में प्रमुख रूप से समूह के प्रशिक्षण की कमी, सहायक विस्तार विकास अधिकारी का उचित सहयोग न मिलना, समूह के कामों के लिये कमीशन मांगा जाना, बैंकों द्वारा पर्याप्त सहयोग न देना, समूह की ग्रेडिंग समय पर न होना,

समूह गतिविधि के अनुसार प्रशिक्षण का आभाव, समय पर ऋण न मिलना एवं तैयार माल के स्थान एवं परिवहन की समस्यायें आदि थी। इन समस्याओं के बावजूद समूह की महिला सदस्यों ने आपतित परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करते हुए समूह एवं समूह की आर्थिक गतिविधि को सतत रूप से आगे बढ़ाया।

सुझाव :

महिला स्व–सहायता समूहों का गठन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये कि समूह की सभी महिलायें समान आवश्यकता वाली एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली हों ताकि उन्हें योजना का भरपूर लाभ मिल सके।

प्रायः यह देखा गया है कि गांव की गरीब महिलायें कोई कार्य न होने की स्थिति में घर पर ही अपना सारा समय बच्चों की देखभाल एवं घर के अन्य कामों को करने में बर्बाद कर देती हैं। अतः इन महिलाओं को स्व–सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के छोटे–छोटे कुटीर उद्योग जैसे – अचार–पापड़, बड़ी–निर्माण, साबुन निर्माण, पशुपालन, बांस बर्तन एवं अन्य इसी तरह के स्थानीय आवश्यकता वाले कार्यों से जोड़ा जाना चाहिये। ताकि ये अपनी आय बढ़ा सकें।

ग्रामीण गरीब महिलाओं को समाज, परिवार, साहूकारों एवं महाजनों के चुंगल से बचाने तथा उनमें चेतना जगाने हेतु स्व–सहायता समूहों को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि ये समूह महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विकास के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुये हैं। अतः महिला स्व–सहायता समूहों के गठन के बाद समय–समय पर इनकी मानिटरिंग, प्रशिक्षण, सही समय पर ग्रेडिंग, ऋण एवं अनुदान, सामाजिक कार्य, एवं समय–समय पर अन्य दूसरे सफल समूहों के साथ प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके लिये स्थानीय पंचायतों, स्थानीय संस्थाओं, शासकीय एवं अशासकीय संगठनों द्वारा अधिक से अधिक गरीब एवं बेरोजगार महिलाओं को स्व–सहायता समूहों से जोड़ने का प्रयास करना चाहिये। तभी ग्रामीण

महिलाएं सही दिशा में कदम उठा कर स्व–सहायता समूह के माध्यम से देश के विकास में अपनी गरिमामयी योगदान दे सकेगीं।

निष्कर्ष :

कहा जा सकता है कि स्व–सहायता समूह समय के साथ गांवों के चहुंमुखी विकास एवं ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार लाते हुए ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण को एक सही दिशा एवं नया आयाम देने में समर्थ हो सकेंगें।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के चार वर्ष : (2004–2008) भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि भवन, नई दिल्ली, अगस्त 2008, पृष्ठ संख्या 31
- जन साक्षरता : राज्य संसाधन केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इंदौर, (म.प्र.), अंक मार्च 2008, पृष्ठ 40,41।
- महिला विधि भारती : विधि भारती परिषद, बी.एच. 148 (पूर्वी) शालीमार बाग (दिल्ली), अंक 53, अक्टूबर–दिसम्बर 2007
- विभागीय प्रशासकीय प्रतिवेदन : मध्य प्रदेश शासन एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वर्ष 2000 से 2008 तक
- जैन, बी.एम. रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर, 1999
- मिश्रा, इंदिश : गरीब महिलाएं उधार एवं रोजगार, किताब घर, नई दिल्ली, 2000

युवा उद्यमी और विकसित भारत

–भारती जोशी

भारत की इंद्रधनुषी विविधता , सांस्कृतिक विविधता ,भावपूर्ण संगीत और देश के विशाल भूभाग के लोगों के विचारों की एकता ने हमारी परम्परा को समृद्ध किया है। बावजूद इसके स्वतंत्रता मिलने के 62 वर्षों के उपरांत भी विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हुआ। देश के आर्थिक विकास को तेज करने ,संस्कृति और सभ्यता को संरक्षित रखने के लिए बहुत से कार्य अभी करने होंगे। हमारा देश प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों से सुसज्जित है। लगभग 55 करोड़ युवाओं के सशक्त हाथ और उर्वर दिमाग मौजूद है तब भी विकसित राष्ट्र बनने में देरी हो रही है, आखिर क्यों ? आज तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक चुनौतियों का सामना युवाओं को ही करना पड़ रहा है। युवाओं से अपेक्षाएं भी अपेक्षाकृत अधिक बढ़ गई हैं। युवा वर्ग आज असमंजस के दौर से गुजर रहा है।

एक ओर दुनिया के साथ कदमताल करने के लिए उनमें आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होने की होड़ मची है तो दूसरी ओर, इस दौड़ में वे कई बार हीनता का शिकार हो कर अवसादग्रस्त हो रहे हैं। इस तरह के जटिल माहौल में उनमें निहित स्वाभाविक कुशलताएँ दम तोड़ रही हैं जबकि हमारे समय की मांग यह है कि शहरी और ग्रामीण युवा अपने आसपास मौजूद संसाधनों का भरपूर उपयोग कर आधुनिक ज्ञान के सहारे अवसरों का निर्माण करें जिससे स्वयं उनका एवम साथ ही समाज और राष्ट्र का तेजी से विकास हो सके। चुनौतिपूर्ण कार्यों को सम्पन्न करने के लिए युवाओं से ही अपेक्षा की जाती है क्योंकि 'युवा' में ही वायु सी बहने की ताकत होती है। वह अपने उत्साह, जोश और उमंग की बयार में समाज को बदलने की शक्ति रखता है। एक अनुकरणीय युवा नेतृत्व वह है जो स्वयं के बजाय समाज के लिए काम करे। अपने साथ काम करने वालों की समस्याओं, भावनाओं और बातों को समझे यही उसके उत्तम नेतृत्व क्षमता की पहचान है। जब भी कोई कार्य करे तो सिर्फ धन कमाने का ही उद्देश्य न हो बल्कि हर काम एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाय । युवाओं में ज्ञान की कमी बिल्कुल नहीं है। आज इंटरनेट के स्त्रोत से ज्ञानगंगा भरपूर बह रही है। बस दिमाग को जागरूक रखने की आवश्यकता

है । किशोर उम्र सपने देखने की होती है तो युवावस्था सपने पूरे करने की। विकसित भारत बनाने के लिए आज राष्ट्र को युवा उद्यमियों की आवश्यकता है। प्रसन्नता की बात यह है कि आज युवाओं के आदर्श डॉ. अब्दुल कलाम आजाद, धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स जैसे **सेल्फ मेड मैन** है जिन पर किसी **गाड फादर** का साया नहीं था। सफलता के आकाश में जगमगाने वाले ऐसे ही सितारों की रोशनी में अपनी जमीन तलाश रहे हैं आज के युवा उद्यमी । किसी भी उद्यमी को उसके कार्यों से ही पहचान मिलती है। युवा उद्यमी ही विशेष कार्य जैसे – सेवा, व्यापार, उद्योग करने के लिए नये विचारों को जन्म देता है और इन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए अपनी ओर से पहल करता है, आत्मविश्वास और आत्मबल दिखाता है ताकि उसका यह विचार एक उद्यम का रूप ले सके। आज के परिवेश में यह धारणा धूमिल पड़ चुकी है कि उद्यमिता किसी विशेष स्थान, परिवार, क्षेत्र, जाति आदि पर निर्भर करती है। आज के दौर में प्रत्येक युवा सफल उद्यमी सिद्ध हो सकता है बशर्ते वह मन, वचन और कर्म की त्रिवेणी में नहा कर अपने में एक उद्यमी बनने के गुण पैदा कर ले। उद्यमिता के कोई अलग विशेष गुण नहीं होते है बल्कि जिन गुणों से युवा लबरेज रहता है उसी में एक सफल उद्यमी की कुशलता भी निहित होती है जैसे हर युवा अपने लिए कुछ खास उपलब्धि की चाह रखता है । इसी चाह को पूरा करने के लिए वह आवश्यक कदम उठाता है। यह चाह युवाओं में एक प्रतियोगिता की भावना को जन्म देती है और यही भावना एक मापदण्ड निर्धारित करती है जिसके आधार पर एक स्वस्थ्य प्रतियोगिता चलती रहती है। व्यापार, उद्योग, खेल, शिक्षा, कला कोई भी क्षेत्र हो इनमें आगे आने के लिए युवा सतत् प्रयास करता है ताकि वह उत्कृष्टता हासिल कर सके। यही अभिवृत्ति स्वयं के कार्य के लिए उद्यमशीलता में सहायक होती है। उपलब्धि की चाह के साथ साथ युवाओं में अपने बारे में सकारात्मक सोच का होना भी आवश्यक है । युवा उद्यमी को अपने कार्यों के परिणामों के पक्ष में सोचना चाहिए जैसे – वे स्वयं के लिए निर्धारित कार्य को कर सकते है, उन्हें सफलता मिलेगी, वे कठिन काम को करने में भी सक्षम हैं। इस तरह के सकारात्मक भावों से आत्मविश्वास और आत्मकुशलता को बढ़ावा मिलता है। सकारात्मक विचारों से ही युवा उद्यमी समस्याओं का समाधान कर सकता है। उद्यमी वह युवा है जो समस्याओं को बुलाता है और समस्याएँ ही साबित करती है कि वह

असली उद्यमी है। समस्याओं से खेलना उसका शौक बन जाता है। जैसे जैसे समस्याओं के हल मिलते जाते हैं आत्मविश्वास और सफलता के द्वार खुलते जाते हैं। इसके लिए युवा उद्यमी को अपने कार्य विशेष को पूरा करने के लिए सबसे अच्छी विधि चयनित कर उन्हें लागू करने से पूर्व उनके पक्ष और विपक्ष पर मनन कर लेना चाहिए ताकि समस्याओं का पूर्वानुमान लगाया जा सके। समस्या आने पर उन्हें टाले नहीं बल्कि उनका सामना करे और भविष्य के प्रति आशान्वित रहे। यह स्पष्ट है कि समाज में आज चारो ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है और काम करने में अनेक मुश्किलों का आना स्वाभाविक है। काम करने का वातावरण भी अनुकूल नहीं है। किन्तु एक उद्यमी को यदि सफल होना है तो वह अपना काम ईमानदारी से करे। कहते हैं कि यदि पूरे कुंए में भांग मिली हो तो वह पानी पीने के बजाए मिनरल वाटर पर निर्भरता भली है। यही बात उद्यम में भी लागू होती है। भले ही हर तरफ भ्रष्ट वातावरण हो ईमानदारी ही अपना शस्त्र होना चाहिए। अपने आसपास के वातावरण से जानकारियाँ एकत्रित कर उन्हें विश्लेषित करते रहना चाहिए। ताकि लक्ष्य या नीति के प्रति संवेदनशील रहते हुए प्रभाव के अनुरूप उसे अपनाने या उनसे दूर रहने का निर्णय आसानी से लिया जा सके और उद्यमी द्वारा अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इस तरह से एक युवा अपने स्वाभाविक गुणों को पहचान कर सफल उद्यमी बन सकता है और अपने उद्यम के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से हासिल कर सकता है । युवा उद्यमियों को याद रखना होगा कि आइकॉन पैदा नहीं होते बल्कि इसी समाज में निर्मित होते हैं। युवा उद्यमियों को वे बातें याद रखनी चाहिए जो स्वयं और समाज की बेहतरी के लिए जरूरी है। विकसित भारत के सपने को साकार करने वाले हर युवा उद्यमी को एक कविता की यह पंक्तियाँ अपने जेहन में अंकित कर लेना चाहिए–

'जब छूना चाहो आकाश
मत सोचो कौन हो तुम
इच्छा जो भी होगी दिल में
हो जाएगी वो पूरी'।।

○○○○○

Hindrances in Implementing CE Programme - A Study

Nivedita Kundu

Introduction

Literacy is a composite programme of Total Literacy Campaign (TLC) followed by Post Literacy Programme (PLP) and Continuing Education Programme (CEP). TLC started with the objectives of making people literate; to make them aware of several aspects like health hazards and to take remedial as well as preventive measures including upgradation of the existing functional skills.

Continuing Education Programme was formulated with an idea to make a learning society by offering them lifelong education. With this objective in view it had planned four target specific programmes for achieving the goal. But its main objective was to make a learned and rational society. However in the first year of the implementation of the programme, priority was given to the identification and setting-up of CECs and NCECs with ten core activities like, (1) teaching-learning centre for remaining non-literates and neo-literates, (2) library, (3) group discussion, (4) reading circle, (5) information window, upgradation (7) extension facility of other development departments, (8) sports & games, (9) cultural activities, (10) creative functional skill.

According to NLM, one CEC was setup for 2000 to 2500 population and one NCEC to monitor 10-12 CECs. There were two full time employees - one Prerak and one Assistant Prerak in each CEC and NCEC. According to NLMA norm, qualification of Preraks was either Madhyamic passed or Higher Secondary passed. But there was also relaxation in the qualification, if qualified Preraks are not available in any given area. In that situation, less qualified but competent persons were engaged. There were two Block Coordinators (one Govt. official and the other a District Resource Person). Their task was to monitor the programme. In some districts, a few non-official Block Coordinators had been employed against a monthly payment of Rs. 3000/- or 4000/-. The Prerak was paid Rs. 700/- per month and Assistant Prerak Rs. 500/- per month. In case of Nodal CEC, Prerak was paid Rs. 1200/- while his Assistant was paid Rs. 700/- per month.

ZSS was the implementing agency of the programme. It had an organisational structure from the District to Panchayat level like Sub-divisional Saksharta Committee, Block Saksharta Committee and Gram Panchayat Saksharta Committee. Wherever necessary, booth level Saksharta Committees were also constituted.

There were four categories of beneficiaries who could take part in the programme. They were (a) non-literates, (b) neo-literates, (c) school dropouts and (d) interested community members.

There was a negative impression regarding the achievements of literacy programmes which no literacy functionary could accept. Infact, inspite of many hurdles in the implementation of literacy programmes, there were tangible results in many areas, some of which are enumerated below:

(1) Over the period parents realised the utility of education for their children. Hence, enrollment in ICDS centres, SSK, MSK and Primary Schools had increased and also the rate of school dropouts had reduced.

(2) Considerable decline in health hazards and diarrheal deaths were noticed as a

result of enhanced consciousness regarding water sanitation.

(3) Use of sanitary latrines was popularized.
(4) Growth rate reduced from 24.73 (1991 Census) to 17.84 per 1000 in 2001.

(5) Improvements in decadal sex ratio can be claimed as a success of literacy. In 1991, the female sex ratio was 917 per thousand males whereas in 2001 it increased to 934 females per 1000 males. This indicates that attitude towards girl child had improved.

(6) According to 1991 census, the literacy rate of West Bengal was 57.7% but in 2001, it reached to 69.22%. This was the direct impact of literacy programme.

(7) The cases of early marriages have reduced as a result of increased awareness among the neo-literates regarding the ill effects of it.

(8) Participation in Gram Sansad meeting has enhanced.

(9) SHGs have been formed in most of the CECs/NCECs which have empowered women, the major beneficiaries of literacy programme economically.

Achievements apart, the SRC, responsible for providing technical and academic support to ZSSs and their functionaries felt that the CE programme was not implemented properly as per the given guidelines. Therefore, in order to find the actual situation in the field, it decided to conduct a small study so that the fact can be brought to the notice of the planners and implementers.

Title of the Study

A study to underline the hindrances in the implementation of CEP with special reference to South 24 Parganas.

Objectives of the study

- To find out impediments for implementing Continuing Education Programme.
- To assess difficulties, if any, at the grassroot level to make the CE programme a success.
- To provide suggestions to remove the hindrances.

Collection of data

The data for the study was collected through structured interview schedule.

Size of Sample

Baruipur Block of South 24-Parganas was selected for the study in which 25 CECs and 5 NCECs were covered.

Profile of the district

South 24-Parganas is an adjacent district of Kolkata metropolis. It is linked in the north by North 24-Parganas, south by the Bay of Bengal, east by Bangladesh and on the west by the Hooghly river.

There are five Sub-divisions in this district. They are Alipore, Baruipur, Canning, Diamond Harbour and Kakdwip. The sub-divisions are divided into 29 Blocks. There are six Municipalities also in this district.

Profile of Baruipur Block of Baruipur Subdivision

This Block has a total of 19 Gram Panchayats (GPs) out of which only five GPs were selected by ZSS and study was administered in those Gram Panchayats.

It was stated earlier that not a single CEC resembled a real CEC. Those were just like a learning centre in the pattern of TLC. Hence no discussion was held there. Out of 25 Preraks and 25 Assistant Preraks only 7 Preraks appeared as properly trained up because they had some perception about their role. This will be pertinent to mention here that all learners of those CECs were so much interested to learn that they regularly attended the centres and were so keen to learn that even if any CEC remain closed they approached the Prerak to teach them. All of them were reading either Primer-I or II. It was reported that during TLC in Ramnagar IGP few learners learnt 3 R's and after that they started doing private tuition and till the date of the data collection they reportedly earned from their private tuition.

As CECs didn't have their own room or place, many non-literates of the area didn't want to attain centres running in someone's house because of their personal or familial dispute.

In South 24-Parganas, only Preraks were approved to get a payment of Rs. 300/- per month while in other districts both Prerak and Assistant Preraks were paid. So the district administration decided to divide the amount of Rs. 300/- between them. The district again had thought to submit a revised plan but till the approval of the submitted plan it paid Rs. 150/- per month to both its Preraks and Assistant Preraks as honorarium. The state of affair was so grim that even this amount was not being paid regularly. In spite of this meager amount, Preraks took it as their employment. Later on the nature of their job was clarified. It was surprising that they were very much satisfied with such a meager amount of honorarium. Preraks had their dedication and devotion. They worked on behalf of Panchayat and contributed voluntary service without any hesitation and apathy. If they were trained properly they would have became very efficient.

Analysis of Data :

(1) Only 3 CECs (1 each in Shankarpur-I and Shankarur-II and 1 in Ramnagar G.Ps) were found running permanent centre in a clubroom. One CEC was found running in an ICDS room and rest CECs were being conducted in the courtyards of Preraks or neighbours of local area. None of them was decorated like a CEC.

All NCECs were having a permanent room in concerned Panchayat office. These NCECs used to open regularly from 10.00 A.M. to 5 P.M. All of them were found fully decorated and displayed with posters. Each of them was having 20 different kinds of CE books and Primers. Books were kept properly and some story books were lent out to local interested members.

(2) None of the NCECs of which Neo-literates and some local interested people were the main visitors had any information window. Nodal Preraks had an idea about their role but some of their assigned activities were ambiguous to them and they failed to find out means to execute them. One female Nodal Prerak of Ramnagar-I GP was very smart and she showed her activity chart prepared on consultation with health and agriculture workers.

Hence there were demands to fill-up the vacant posts. Although there were one

honorary Block Co-ordinator in each Blocks but they were not involved either by ZSS or Blocks in organizing the programmes. One Official Block Co-ordinator was there as an LMEEO (Extension Officer) who instead of doing literacy work was mostly busy with administrative & other works assigned by BDO of the concerned Block. In few cases, it was found that some of them were reportedly so busy with other works that they could not even recognize the venue of CE/and NCECs. Some of them who were treating the preraks as their subordinate were having no exposure to CEP and its monitoring system. Obviously there were some officials who had aptitude and knowledge of CEP but were overburdened with work other than literacy and were unable to execute their actual role.

(3) At the district level regular monthly meeting of ZSS was held but the same was not followed by the lower tiers of it. The Core Committee of steering body of ZSS several times decided to undertake some action to revive CEP and reopen CECs but somehow the decision was lost in the implementing stage. Individual job assignments among ZSS members were very neatly formulated. Issues regarding environment building were raised in the meeting and it was resolved to tag linked departments like health, nutrition family planning, agriculture etc. with CEP but due to lack of initiative and motivation, it could not be implemented. It was also decided to furnish and use CECs as a Development Centre but in actual practice no CECs could be constituted as a development centre. Proper monitoring through meeting and supervision at all levels was solicited but somehow it was absolutely absent at the field level.

(4) Achievement of literacy programme depends largely on the monitoring system of CECs and the Nodal Preraks are supposed to carryout these tasks. In Baruipur Block Nodal Preraks reported that they had started visiting CECs regularly. During the tenure of Smt. Sulekha Mondal, a smart young lady with very clear conception of CEP frequent visit of CECs were made by Nodal Preraks. She was very well conversant with CEP objectives and always gave her suggestions to from an information window in a CEC. She requested Panchayat Pradhans to disseminate information of all Govt. schemes and arrange training to all CECs through NCEC. But it could not be materialized. Researcher observed that the GPs lacked unanimous political support.

(5) The CEC signboard is essentially for spreading the massage among the villagers. A suggestion was placed by the District Co-ordinator in this regard which was accepted. Hence, there were newly signboards for all the CECs /NCECs in the region.

(6) The Village Education Committees were not active in all the cases. A few Pradhans were also not very interested although they belonged to the ruling party. Instead, they were more interested on construction & financial matter rather than literacy programme.

(7) The ZSS wanted to involve NGOs in making CEP a success but in Baruipur District, one of the NGOs, Nistha paid Rs.60/- (Rs. sixty) to per enrolled student which hampered the programme.

(8) In comparison to male Preraks, number of female Prerak was less and it was replied that qualified female Preraks were not found in this district.

(9) Preraks were very keen to implement CEP with its all components but due to absence of favorable atmosphere in CEC & its locality they could not implement their acquired knowledge skillfully. Throughout the district, it was noticed that a number of Preraks were unable to accept the teaching methodology of CEP. Very often they failed to understand the science behind this non-formal education.

(10) A reasonable amount of fund was allotted to Blocks to reimburse the conveyance charge to the Block Coordinators for monitoring CECs and NCECs but most of the Blocks neither disbursed the amount nor reported it to the District authorities. . As a result, further proposal could not be sent to NLMA in time. The practical problem was that there were very few committed officers for the programme. Therefore, the need of full time personnel responsible for looking after the CE programme was felt.

(11)Since literacy is a public programme all political parties along with the ruling one need to be involved. During TLC and PLP it was intelligently done. As a result the programme could claim success. But in CEP level this cooperation was absent.

(12) Allotted literacy materials sometimes were sent to the Blocks but CECs could not utilize it due to non co-operation of Block and GP functionaries.

(13) The study feels that very often the ruling party didn't see any role of the opposition in the furtherance of the cause of literacy which in turn hamper the cause of people's progress.

(14) The study clearly indicates the apathy of Pradhans in executing the role of CE centres. It found complete lack of initiative by the Pradhans in conducting the regular meeting of literacy in the area.

(15) Like all districts this Block also started its TLC & PLP with Voluntary effort. Primary and secondary teachers became Master Trainers. All elected members and several officials took part in the programme. During TLC/PLP period, learners were offered with special benefits like priority of ration card and facility of loans etc. But the same was absent in the case of CEP.

(16) The district faced an acute problem during the selection of Preraks. Since inception of the literacy programme it faced two general elections when a massive political change of local representative took place. It was observed that ruling party awarded their pet supporters with the certificate of VT and without dedicating any voluntary work few persons became Preraks. Those certificate holders also had a say in selection of primary school teacher. This situation raised unrest among actual dedicated VTs in some Blocks like (1) Kultuli (2) Jaynagar-II, (3) Part of Kulpi Block (3 GRs). The VTs here sued a case in High court for which the programme faced a deadlocked there.

Conclusion :

1) The CEP is a well planned programme which can promote our country in alleviating poverty and eradicating illiteracy and ignorance. But the agony is

that there are gaps between the cup and lips. Laboratory experiments sometimes fail in the actual field. The same happened with the CEP in the Baruipur Block. CEP here could have succeeded if a real commitment had been generated among the masses.

2) The CE Programme is knitted in such a way that its proper implementation will remove all darkness of progress and will kiss the dawn of national development but in reality, besides a few CECs, no others CECs prepare and follows the calendar and try to keep liaison with other Govt. departments to keep pace with the recent developments.

3) Lack of monitoring also hampers the programme in achieving the desired target. NLMA remains satisfied only with the monthly monitoring report filled with it. In absence of a proper feedback system and qualitative criticism the whole exercise remains only on paper. Officers of SLMA rarely visit districts and CECs. They never enrich districts with qualitative criticism because they never analyse the lapses (flows) of the programme. Mass Education Extension Officers sometimes visit district with a team headed by the Honorable Ministers of the Dept. This visit motivates the district with a very temporary effect. If the frequency of such visit is enhanced, its impact may last for a longer duration.

4) In all districts, some over burdened political leaders and political personnel create unfavorable situation for the implementation of literacy programmes. There are some junior capable leaders who can make the programme a success and carry it effectively fulfilling everybody's expectation but either their skills are ignored or they are denied to work further without following the green signals of senior leaders.

5) SRC is responsible for imparting training to the literacy functionaries and also for material preparation. There are Faculty Members holding two three districts on their shoulders. They impart training according to districts' demand which is always less than required days and hours. Naturally it fails to deliver the necessary impact.

6) CECs must have a permanent place because they have many things to display and preserve. As they do not have their own room, they keep CECs materials in their home and do not use regularly. Presently these materials have turned into a valuable show pieces only. There must be issued a circular from District- primary or secondary dept. to allot a room for CECs at the time when the school is over.

7) In CEP, Preraks too desires to get certain leverage for their selection in government jobs which often creates problem. While motivating Preraks they must be clarified about the status of their jobs.

8) In some districts it is observed that Local Govt. and administration cannot work hand in hand which needs to be sorted out.

9) Pradhans sometimes lack necessary motivation while implementing the

CEP. Along with the Sabhapaties they also think CEP a dead programme. Lack of awareness at this level is detrimental for the CEP

10) Apart from its success level the CEP or literacy programmes have created enormous impact on the society. During TLC there were separate literacy centres for men and women. Now a days CECs are for common use. Men and women are together learning the skills of livelihood which has increased the level of confidence among the women folk. It has also increased women participation in Gram Sansad meeting.

11) Universalisation of primary education can be realized only through cent percent female literacy. Mother's education has enhanced enrolment in primary school but still there is a high rate of dropouts.

12) Like other districts, a good number of SHGs has been formed in this South 24 Parganas. Even many clubs have organised women to form SHGs to undertake economic activity for supplementary income but the misfortune is that literacy workers as well as Preraks never think to inter-link those SHGs with CECs. If Preraks find almost 60-70% non-literates in each group and can advise them to join the literacy centre, or they may advise SHG leaders to make their members literate with the help of Preraks and Assistant Preraks, they may achieve their objectives.

Suggestion :

(1) There are Shiksha Karmadhyaksha in each Block. They can involve themselves in monitoring CECs of all GPs. For that purpose they can be provided with a vehicle in order to enhance their mobility.

(2) Before mobilizing fund for making a room for CEP official should a proper land for the purpose.

(3) CEP is a programme of the people and for the people. Hence people participation across all the belief, caste and creed must be ensured.

(4) Deputy Magistrates who are Officers-in-charge of literacy programme are frequently transferred. As a result districts suffer from absence of experienced and philanthropic officials. Hence an O.C. must hold his/her post at least for an important phase of programme implementation.

(5) Non-official Block Coordinators should also be involved and honoured for their devotion and service.

(6) A conducive atmosphere and environment must be created in order to generate a tempo in favour of CEP to wipe off all hindrances at the centre.

❍❍❍❍❍

हमारे लेखक

डॉ. अनूपी समैया
C/o श्री तिलकचंद्र समैया
नगर निगम मार्केट के पीछे
कटरा बाजार, सागर (म. प्र.)

मृदुला सेठ
जे–33, लाजपत नगर–III
नई दिल्ली–110024

डॉ महेन्द्र कुमार वर्मा
रीडर शिक्षा विभाग
शोध अध्ययन एवं शिक्षा विभाग
स्वामी शुकदेवानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
शाहजहाँपुर (उ. प्र.)

डॉ. विकास मोदी
प्रवक्ता
शाहगोवर्द्धनलाल काबरा शिक्षक महाविद्यालय
5/बी/119, कुड़ी भगतासनी हा. बोर्ड, बासनी
जोधपुर – 342005

डॉ. जितेन्द्र कुमार पाण्डेय
अतिथि व्याख्याता,
एवं
डॉ. प्रतिभा पाण्डेय
विभागाध्यक्ष
प्रौढ़, सतत शिक्षा एंव विस्तार विभाग
डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय वि.वि., सागर
(मध्य प्रदेश)

डॉ. भारती जोशी
सहायक संचालक/उपाचार्य
आजीवन शिक्षण विभाग,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

डॉ.निवेदिता कुण्डु
समन्वयक राज्य संसाधन केंद्र
50, बेलिया घाटा मेन रोड
कोलकत्ता–700010,
पश्चिम बंगाल

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

संरक्षक

प्रो. भवानीशंकर गर्ग

अध्यक्ष

श्री कैलाश चौधरी

उपाध्यक्ष

श्रीमती राजश्री बिस्वास
प्रो. ए.एच. खान
प्रो. अरूण मिश्रा
डा. एल. राजा
प्रो. एस.वाई. शाह

महासचिव

डॉ. मदन सिंह

कोषाध्यक्ष

डा. मनोहर सिंह राणावत

संयुक्त सचिव

श्री ए.एल. भार्गव

सह–सचिव

श्री सुधीर चटर्जी
श्री प्रफुल्ल नागर
डॉ. पी.ए. रेड्डी
डॉ. निर्मला नुवाल

सदस्य

श्रीमती इन्द्रा पुरोहित
सुश्री कुन्दा सुपेकर
श्रीमती सुरेखा खोत
प्रो. सुशीले गौडा
डॉ. मफतलाल पटेल
प्रो. वी. रेघु
डॉ. एस.एल. शर्मा
डॉ. ओ.पी.एम. त्रिपाठी

सहयोजित सदस्य

श्री एच.सी. पारीख
प्रो. सुरेन्द्र सिंह
सुश्री निशात फारूख़
श्री हरीश कुमार एस.
श्री सुरेश चन्द्र खण्डेलवाल

पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं0 डी.एल.(सी)-01/1158/10-12
प्रौढ़ शिक्षा जनवरी 2010, आर.एन.आई. 4551/57

Indian Adult Education Association
wishes all the readers
Happy Republic Day 2010

स्वत्वधिकारी भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के लिए महासचिव डा. मदन सिंह द्वारा 17–बी आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–2 से प्रकाशित, सम्पादित और उनके द्वारा मैसर्स– ग्राफिक वर्ल्ड, 1686, कूचा दखिनी राय, दरियागंज, नई दिल्ली–2 से मुद्रित।

वर्ष 53 अंक 6

एक प्रति 10 रूपये
जनवरी 2010

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ